29/6/17 आज पत्रावली भूल वाद के साथ न्यायालय
कार कैम्प सोंख पर पेश हुई। प्रा० पत्र
212 RTA के निर्णित किया जाकर तीसरी
गण को भूल वाद के निर्णित होने तक
स्थाई निषेधाज्ञा से पावन किया जाता है कि
वें सम्पत्ति की विवादित आराजी किसी
प्रकार की गैरकानूनी तरीके से बेजा
ना करे। और ना ही अन्य किसी
से करावें। तथा सम्पत्ति को नुकसान
से नहीं रोवे। पत्रावली फैसल
शुमार हो। नम्बर से कम की जाकर
भूल वाद के साथ दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज